फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – साइबर क्राइम फतेहगढ़

दिनांक - 13.08.2025

साइबर क्राइम फतेहगढ़ पुलिस द्वारा NCRP पोर्टल पर पंजीकृत ऑनलाइन साइबर शिकायतों से सम्बन्धित कुल धनराशि 1,64,000/- रूपये वापस कराये गये ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चंदर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ0 संजय सिंह व श्रीमान क्षेत्राधिकारी अमृतपुर/क्राइम श्री अजय वर्मा के नेतृत्व में साइबर अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर क्राइम फतेहगढ़ पुलिस के द्वारा NCRP पोर्टल पर पंजीकृत साइबर शिकायत संख्या 33104250038987 के आवेदक श्री आशीष कुमार पुत्र मंशाराम निवासी सिविल लाइन कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ के 1,00,000/- रूपये तथा साइबर शिकायत संख्या 23112240153331 के आवेदक श्री आनन्द प्रकाश पाल पुत्र जिलेदार सिंह पाल निवासी मो0 मेंहदीबाग कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ के 64,000/- रूपये फ्राड करने वाले खातों को फ्रीज कराकर मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में कुल 1,64,000/- रूपये आवेदकों के बैंक खातों में कुल 1,64,000/- रूपये वापस कराये गये।

घटना का संक्षिप्त विवरण - साइबर अपराधियों द्वारा आवेदकों के व्हाट्सप नम्बर पर लिंक भेजकर टास्क पूरा करने पर लाभ देने का लालच देकर धोखाधड़ी कर आवेदक श्री आशीष कुमार उपरोक्त के खाते से 01 लाख रूपये व आवेदक श्री आनन्द प्रकाशपाल उपरोक्त के खाते से 64 हजार रूपये की साइबर ठगी की गयी।

बरामद धनराशि -

आवेदक श्री आनन्द प्रकाश पाल पुत्र जिलेदार सिंह पाल निवासी मो0 मेंहदीबाग कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ के1,00,000/- रूपये तथा आवेदक श्री आनन्द प्रकाश पाल पुत्र जिलेदार सिंह पाल निवासी मो0 मेंहदीबाग कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ के 64,000/- रूपये कुल 1,64,000/- रूपये वापस कराये गये।

बरामद करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राघवेन्द्र तिवारी
2. उ0नि0 श्री सुबोध यादव
3. क0आ0 ग्रेड बी सत्येन्द्र कुमार यादव
4. मुख्य आरक्षी रविन्द्र प्रताप सिं
5. आरक्षी अंकित आर्य
6. आरक्षी कौटिल्य
7. आरक्षी अरविन्द यादव
8. आरक्षी आलोक यादव
9. आरक्षी गौरीशंकर
10. आरक्षी दिपिन राठी।

मीडिया सेल फतेहगढ़।

- **साइबर अपराध के प्रति जागरूकता ही बचाव है। साइबर अपराध के शिकार होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर ऑनलाइन शिकायत करें अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत पंजीकृत करें या अपने नजदीकी थाने की साइबर हेल्प डेस्क पर पहुँच कर लिखित शिकायत करें।**
- **सतर्क रहें,**
- **जागरूक रहें।**
- **साइबर क्राइम पुलिस उत्तर प्रदेश सदैव आपकी सेवा में तत्पर है।**

फतेहगढ़ पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना जहानगंज

दिनांक-13.08.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1 मुन्नू पुत्र नत्थूलाल 2 सोवरन पुत्र मुन्नू 3 हसंना उर्फ कमलेश पुत्र मुन्नू निवासीगण दान मण्डी थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ मु0अ0स0 179/2014 वाद संख्या 87/2015 धारा 304,323,504 भादवि थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए ***दिनांक 13.08.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे 04 फर्रूखाबाद द्वारा अभियुक्तगण को दोषसिध्द कर प्रत्येक को 10-10 वर्ष का कारावास व 17-17 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।***

एडीजीसी - श्री श्रवण कुमार

को0मो0 हे0का0 हरवेन्द्र सिह

पैरोकार हे0का0 नरेन्द्र सिह

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली फर्रूखाबाद

दिनांक-13.08.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त मोहम्मद फहीम पुत्र मोहम्मद जहीर निवासी मोहल्ला खटकपुरा इज्जत खाँ थाना कोतवाली फर्रूखाबाद जनपद फतेहगढ मु0अ0स0 861/2010 वाद संख्या 263/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली फर्रूखाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए ***दिनांक 13.08.2025 को मा0 न्यायालय स्पेशल गैगेस्टर एक्ट फर्रूखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोष सिध्द कर 03 वर्ष का कठोर करावास व 05 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।***

एडीजीसी - श्री शैलेश कुमार सिंह

को0मो0 हे0का0 राजेश कुमार

पैरोकार का0 धर्मेन्द्र कुमार